

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-53/2017/1972/37-1-2017-08(113)/97टी0सी0-4

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) की धारा-4(1)(झ)(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा श्री उदयभान मल्ल पुत्र स्व0 श्री राजदेव मल्ल निवासी ग्राम-वेलवा, पो0-सिसवा, जनपद- महाराजगंज को तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 गो सेवा आयोग का सदस्य नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इनका कार्यकाल एक (01) वर्ष का होगा।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव

संख्या-53/2017/1972(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री उदयभान मल्ल, ग्राम-वेलवा, पो0-सिसवा, जनपद- महाराजगंज
- 2- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पशुधन मंत्री को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 9- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- सचिव, गोसेवा आयोग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 12- गोपन अनुभाग, 1/इरला चेक अनुभाग।
- 13- पशुधन अनुभाग- 2/3
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह

विशेष सचिव